प्रपत्र–3

परियोजना का नाम :– पजिटीलानी सैन्ज मोटर मार्ग का निर्माण के वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव । (0.9975 है0)

प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति

परियोजना के निर्माण हेतु शासन/विभागध्यक्ष द्वारा निर्गत प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न की जाय।

ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी

31

संख्या-541/ III (2)/05 -13(प्रा0आ0)/05

प्रेषक,

टी0 के0 पन्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2 देहरादून, दिनांक 30 जून, 2005

विषयः- वित्तीय वर्ष 2005-2006 में जनपद देहरादून में पंजीटिलानी -सैन्ज मोटर मार्ग के निर्माण की टी0एस0पी0 योजना के अन्तर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद देहरादून में पंजीटिलानी-सैन्ज मोटर मार्ग निर्माण (लम्बाई 8.00 किमी.) के आगणन रूपया 111.20 लाख के परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि रूपये 111.20 लाख (एक करोड़ ग्यारह लाख बीस हजार मात्र) की धनराशि के लागत के आगणन की टी0एस0पी0 योजना के अन्तर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष में रूपये 0.50 लाख (रू. पचास हजार मात्र) की धनराशि के व्यय की भी श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

2. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

4. एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

5. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

6. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाये।

7. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि आंकलित/स्वीकृत की गई है। व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाये।

8. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए।

9. कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी/अधिशासी अभियन्ता का होगा।

N/C
329

10. यदि उपरोक्त कार्य हेतु लो0नि0वि0 के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से धनराशि स्वीकृत कि जा चुकी हो तो उक्त योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायगी।

11. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमो तथा अन्य स्थायी आदेशो के अर्न्तगत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो,उनमे व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनो/पुनरीक्षित आगणनो पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनो पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2006 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय। कार्य कराते समय टेण्डर विषयक नियमो का भी अनुपालन किया जायेगा।

12. स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही आगामी किश्त अवमुक्त की जायेगी।

13. इस कार्य पर होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005-06 में समाज कल्याण विभाग के अनुदान सं0-31-लेखाशीर्षक0-5054-सडको तथा सेतुओ पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सडके-आयोजनागत-796-जनजातिय उपक्षेत्र योजना-01-नवनिर्माण कार्य-00-24 वृहत निर्माण कार्य की मद के नामे डाला जायेगा।

14. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-यू.ओ. 727/वित्त अनुभाग-3/2005 दिनांक 28 जून, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(टी0वी0 पन्त)
संयुक्त सचिव।

संख्या-541/।।(2)/06, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम) उत्तरांचल, इलाहाबाद/देहरादून।
2. आयुक्त गढवाल मण्डल, पौढी।
3. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
4. मुख्य अभियन्ता, गढवाल क्षेत्र,लो0नि0वि0, पौढी।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तरांचल, देहरादून।
7. अधीक्षण अभियन्ता, 24 वां वृत्त लो0नि0वि0 देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-3/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तरांचल शासन।
9. श्री एल.एम. पन्त,अपर सचिव,वित्त बजट अनुभाग।
10. नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग उत्तरांचल शासन।
11. लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तरांचल शासन।
12. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(टी0वी0 पन्त)
संयुक्त सचिव।